मूलवाद सं. ६३ / २०११

महाराज बनाम राम औतार।

२५.१०.१७

पत्रावली पेश् हुई। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष मय विदवान अधिवक्ता उपस्थित आये।

उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ता को प्राथर्ना पत्र ५२ क२ पर सुना गया।

प्रा थीर् की ओर प्रा थर्ना पत्र ५२क२ इस आशय का दिया गया कि उक्त वाद मे आज की तारीख वास्ते साक्ष्य हेतु नियत है। प्रतिवादी ने जो पूर्व मे गवाह सूची दाखिल की थी उसके गवाहो को वादी ने धमका कर तोड दिया है। इस कारण सूची के गवाह साक्ष्य देने से मना कर रहे है। ऐसे मे प्रतिवादी साक्षी श्रीमती जगरानी को साक्षी के रूप में पेश करने की अनुमति प्रदान की जायें।

वादी की ओर से प्रा थर्ना पत्र ५४ग२ प्रस्तुत कर आपत्ति की गयी हैं।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रा थी दवारा प्रस्तुत प्रा थर्ना पत्र ५२क२ प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त वाद मे आज की तारीख वास्ते साक्ष्य हेतु नियत है। प्रतिवादी ने जो पूर्व मे गवाह सूची दाखिल की थी उसके गवाहो को वादी ने धमका कर तोड दिया है। इस कारण सूची के गवाह साक्ष्य देने से मना कर रहे है। ऐसे मे प्रतिवादी साक्षी श्रीमती जगरानी को साक्षी के रूप में पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रतिवादी को हुई क्षति की पूति हरजे से की जा सकती है।

आदेश

प्राथी का प्राथर्नापत्र ५२क२ मु० २००/-रू० हजेर् पर स्वीकार किया जाता है। तथा सूची से दाखिल गवाह श्रीमती जगरानी को सा क्ष्य के रूप मे पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक ८.११.१७ को पेश हो।

सिविल जज,जू०डि०भोगनीपुर,

कानपुर देहात।